I/216844/2024

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्या: 3248/XXV-31/2023 देहरादून दिनांक 10 जून, 2024

प्रेस नोट

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार की 33–मंगलौर एवं जनपद चमोली की 04–बद्रीनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन, 2024 हेतु अपने प्रेस नोट संख्या–ECI/PN/120/2024 दिनांक 10 जून, 2024 के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है, जो निम्न प्रकार है:–

1.	**अधिसूचना जारी होने की तिथि**	**14 जून, 2024 (शुक्रवार)**
2.	**नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि**	**21 जून, 2024 (शुक्रवार)**
3.	**नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि**	**24 जून, 2024 (सोमवार)**
4.	**नाम वापसी की अंतिम तिथि**	**26 जून, 2024 (बुधवार)**
5.	**मतदान की तिथि**	**10 जुलाई, 2024 (बुधवार)**
6.	**मतगणना की तिथि**	**13 जुलाई, 2024 (शनिवार)**
7.	**वह दिनांक जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जायेगी**	**15 जुलाई, 2024 (सोमवार)**

2– आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त उप निर्वाचन मतदाता सूची 01 जनवरी, 2024 के सन्दर्भ में 27 जनवरी, 2024 को प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर सम्पादित किया जायेगा, हालांकि नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तिथि तक निर्वाचक नामावली के निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया निकटतम अर्हता तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के आधार पर जारी रहेगी। उक्त उप निर्वाचन में EVMs और VVPATs का प्रयोग किया जायेगा।

3– आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन के दौरान मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, निर्वाचक नामावली में दर्ज किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पहचान के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

क्र0सं0	**मतदाता की पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज**
1	आधार कार्ड
2	मनरेगा जॉब कार्ड
3	बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
4	श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
5	ड्राईविंग लाइसेंस
6	पेन कार्ड
7	एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
8	भारतीय पासपोर्ट
9	फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख
10	केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11	सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान–पत्र
12	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान–पत्र (यूडीआईडी)

4– आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के उपरान्त उत्तराखण्ड राज्य के जनपद

I/216844/2024

हरिद्वार के अन्तर्गत 33–मंगलौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एवं सम्पूर्ण जनपद चमोली में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश संख्या 437/6/INST/ECI/FUNCT/MCC/2024 (BYE ELECTIONS) दिनांक 02 जनवरी, 2024 (जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के निर्देश लागू होगें।

5– उक्त उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप समाचार पत्रों/टेलीविजन चैनलों में जानकारी तीन बार निर्धारित प्रारूपों/समय पर प्रकाशित/प्रसारित की जानी होगी। इसके साथ ही राजनैतिक दलों को, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को निर्वाचन हेतु खड़ा करता है, उसे अपनी वेबसाइट और समाचार–पत्रों टेलीविजन चैनलों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप/समय पर जानकारी तीन बार प्रकाशित/प्रसारित की जानी होगी।

वर्तमान में कोविड–19 के सन्दर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

Signed by Basava Venkata
Rama Chandra Purushottam
Date: 10-06-2024 13:48:56
Reason: Approved

(डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या–3248/ XXV- 31/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– 1–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचि महोदया के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2–जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली/हरिद्वार।

3–समस्त प्रदेश अध्यक्ष/सचिव/महामंत्री, मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

4–महानिदेशक, सूचना एवं लोक जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को पांच प्रति इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 11 जून, 2024 को प्रकाशित होने वाले समस्त समाचार पत्रों में प्रेसनोट प्रमुख रूप से निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।